राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तरांचल
बी–1, स्ट्रीट–1, शास्त्रीनगर, हरिद्वार रोड, देहरादून
संख्या 846/रा0नि0आ0/लेखा अनु0/55/2002
देहरादून, 01 जनवरी, 2003

आदेश

निर्वाचनों को स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतंत्र तथा धन के अनुचित प्रभाव से मुक्त रखते हुए संचालित करने के लिये यह आवश्यक है कि निर्वाचन में भाग लेने वाले उम्मीदवारों द्वारा निर्वाचन हेतु किये जाने वाले व्यय के विषय में समुचित आदेश दिये जायें।

2–अतः राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तरांचल भारत के संविधान के अनुच्छेद 243–ट तथा अनुच्छेद 243–यक और उनके अधिनियमों मे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तरांचल की त्रिस्तरीय पंचायतों तथा नागर स्थानीय निकायों के निर्वाचनों में भाग लेने वाले उम्मीदवारों द्वारा निर्वाचन हेतु धनराशि व्यय करने के सम्बन्ध में आदेश दिया जाता है कि :–

(1) यह आदेश ''अधिकतम निर्वाचन व्यय और उसकी लेखा प्रस्तुति आदेश, 2003'' कहा जायेगा।

(2) यह आदेश सम्पूर्ण उत्तरांचल के ग्रामीण एवं नागर स्थानीय निकायों के निर्वाचन हेतु लागू होगा।

(3) यह आदेश तुरन्त प्रभावी होगा।

3–अधिकतम निर्वाचन व्यय इस आदेश के अनुलग्नक–1 के स्तम्भ–2 मे वर्णित पदों क उम्मीदवारों द्वारा स्तम्भ–3 में उल्लिखित सीमा से अधिक नही किया जायेगा।

4–(1) किसी त्रिस्तरीय पंचायत अथवा नागर निकाय के निर्वाचन में स्वय उम्मीदवार द्वारा या उसके अभिकर्ता द्वारा किये गये या प्राधिकृत कर कराये गये सम्पूर्ण व्ययों का प्रथम शुद्ध लेखा स्वयं उम्मीदवार द्वारा या उसके अभिकर्ता द्वारा रखा जायेगा। यह लेखा नामांकन के दिनांक तथा उसके परिणाम घोषित होने के दिनांक के मध्य (दोनो तिथियों को सम्मिलित करते हुये) किये जाने वाले व्ययों का होगा। निर्वाचन से सम्बन्धित यह लेखा विवरण इस आदेश मे दिये गये अनुलग्नक–2 (दिन–प्रतिदिन का लेखा) तथा अनुलग्नक–3 (मदवार व्यय का विवरण) में निर्धारित प्रारूप के अनुसार रखा जायेगा। इसमें दिन–प्रतिदिन के व्यय के हर एक मद के विषय में निम्नलिखित विवरण होगेः–

(क) वह दिनांक जिसको व्यय किया गया या प्राधिकृत किया गया ;

(ख) व्यय की प्रकृति (उदाहरण के लिये यात्रा, डाक या मुद्रण और अन्य इसी प्रकार का व्यय);

(ग) व्यय की धनराशि :

(अ) भुगतान का दिनाक;

(ब) अवशेष धनराशि;

(घ) भुगतान का दिनांक;

(ङ) पाने वाले का नाम व पता;

(च) भुगतान की गई धनराशि की दशा में वाउचरों का क्रम–संख्यांक;

(छ) अवशेष धनराशि की दशा में बिल संख्या, यदि कोई हो;

(ज) उस व्यक्ति का नाम और पता जिसको अवशेष धनराशि देय हो।

(2) व्यय की हर मद के लिए वाउचर प्राप्त किया जायेगा सिवाय तब जबकि डाक व्यय या रेल द्वारा या उसी तरह के मामलों में जिसमें मामले की प्रकृति के कारण वाउचर प्राप्त करना व्यावहारिक रूप से सम्भव नहीं है।

(3) समस्त वाउचर उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा भुगतान के दिनांक के क्रम में रखे जायें और क्रम संख्याकित किये जायेंगे तथा निर्वाचन व्ययों के लेखे के साथ दाखिल किये जायेंगे और ऐसे क्रम संख्याकन उप प्रस्तर (1) में उल्लिखित लेखे के मद (च) के अन्तर्गत दर्ज किये जायेंगे।

(4) उप प्रस्तर (1) की मद (ङ) मे वर्णित विशिष्टियां/विवरण व्यय की उन मदों की बाबत देनी आवश्यक न होगी जिसके उप प्रस्तर (2) के अधीन वाउचर प्राप्त नहीं किये गये है।

क्रe'k----------2

5–लेखाओं के निरीक्षण के लिये जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सूचना–जिला निर्वाचन अधिकारी उस दिनांक से जिसको निम्नांकित व्ययों का लेखा उम्मीदवार द्वारा दाखिल किया गया है, दो दिन के भीतर एक सूचना जिसमें:–

(क) वह दिनांक जिसमें लेखा दाखिल किया गया है;

(ख) उम्मीदवार का नाम; तथा

(ग) वह समय और स्थान, जिसमें ऐसे लेखा का निरीक्षण किया जा सकेगा। विनिर्दिष्ट हो, वाले सूचनापट्ट पर लगायेगे।

6–लोखाओं का निरीक्षण और उनकी प्रतियां प्राप्त करना–कोई व्यक्ति दस रूपये की फीस का भुगतान करके ऐसे किसी लेखा का निरीक्षण करने का हकदार होगा और ऐसी फीस के भुगतान पर, जैसी, निर्वाचन आयोग नियत करें, ऐसे लेखा या उसके किसी भाग की प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त करने का हकदार होगा।

7–(1) किसी निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों के लेखाओं के दाखिल के लिये चुनाव परिणाम की घोषणा के इस आदेश के प्रस्तर–8 में निर्धारित समय की समाप्ति के तुरन्त बाद जिला निर्वाचन अधिकारी एक रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को देगा, जिसमें निम्नलिखित बातों का उल्लेख होगा:–

(क) हर एक निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार का नाम;

(ख) उम्मीदवार ने अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल कर दिया है या नहीं और यदि कर दिया है तो उसका दिनांक;

(ग) लेखा निर्धारित समय के अन्दर और निर्धारित प्रपत्रों के अनुसार दाखिल किया गया है या नही?

(2) जहां जिला निर्वाचन अधिकारी की यह राय है कि किसी उम्मीदवार का निर्वाचन व्ययों का लेखा इन नियमों द्वारा अपेक्षित रीति में दाखिल नहीं किया गया है वहां वह ऐसी प्रत्येक आख्या के साथ उस उम्मीदवार के निर्वाचन व्ययों के लेखों और उसके साथ दाखिल वाउचरों को निर्वाचन आयोग को भेजेगा।

(3) जिला निर्वाचन अधिकारी उप प्रस्तर–(1) में निर्दिष्ट आख्या प्रेषित करने के तत्काल पश्चात् उसकी प्रति अपने सूचनापट्ट पर लगाकर उसका प्रकाशन करेगा।

(4) राज्य निर्वाचन आयोग उप प्रस्तर–(1) में निर्दिष्ट आख्या की प्राप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र उस पर विचार करेगा और यह विनिश्चय करेगा कि क्या कोई निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार व्ययों का लेखा उस समय के अन्दर ओर उसी रीति में, जोकि नियामों द्वारा अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा या नही।

(5) जहां कि राज्य निर्वाचन आयोग यह विनिश्चित करता है कि निर्वाचन लडने वाला कोई उम्मीदवार निर्वाचन व्ययों का अपना लेखा उस समय के अन्दर और उस रीति में, जो इस आदेश द्वारा अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, वहां वह उस उम्मीदवार को लिखित कारण बताओं नोटिस देगा कि क्यों न इस असफलता पर उसे अनर्ह कर दिया जाय।

(6) ऐसा कोई निर्वाचन लडने वाला उम्मीदवार जिसे उप प्रस्तर (5) , के अधीन कारण बताओ नोटिस दिया गया है, उस नोटिस की प्राप्ति के 20 दिन के भीतर इस विषय में लिखित आवेदन राज्य निर्वाचन आयोग को दे सकता है और उस आवेदन की एक प्रति और निर्वाचन व्ययों का पूरा लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी को भी प्रेषित करेगा।

(7) जिला निर्वाचन अधिकारी उस आवेदन की प्राप्ति के पांच दिन के अन्दर आवेदन की प्रति और यदि कोई लेखा हो तो ऐसाा लेखा अपनी टिप्पणियों सहित राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित करेगा।

क्रe'k%----------3

(8) यदि उम्मीदवार द्वारा प्रेषित किये गये आवेदन पर और जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह ठीक समझे , राज्य निर्वाचन आयोग को यह समाधान हो जाता है कि उम्मीदवार के पास अपना लेखा दाखिल करने में असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायिक औचित्य नहीं है तब वह उस उम्मीदवार को आदेश के दिनांक से छः वर्ष के लिये अनर्ह घोषित करेगा और आदेश को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करवायेगा।

8–(1) प्रत्येक उम्मीदवार अपने परिणाम घोषित होने के तीस (30) दिन के भीतर या यदि वह एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रो से लड़ रहा है तो उनमें अन्तिम निर्वाचन परिणाम की घोषणा की दिनांक से तीस (30) दिन के भीतर अपने निर्वाचन व्ययों का ब्योरा जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं स्थानीय निकाय) को प्रस्तुत करेगा। निर्वाचन व्ययों का यह ब्योरा निर्वाचन व्ययों की सत्यापित प्रति होगी जोकि उसने स्वयं या उसके अभिकर्ता द्वारा रखी गयी है।

(2) प्रत्येक उम्मीदवार निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करते समय एक शपथ–पत्र, जैसा अनुलग्नक–4 में दिया गया है, भी जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। शपथ–पत्र में वह यह स्पष्ट उल्लेख करेगा कि प्रारूप के भाग–3 मे सूचीबद्ध मदों में दर्शाया गया व्यय शून्य है, यदि उसमें कोई रिक्ति है, शपथ–पत्र मे यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा कि उससे सम्बन्धित सूचीबद्ध मदों में सम्पूर्ण निर्वाचन व्यय को उक्त विवरण में पूर्णतः और स्पष्ट रूप से सम्मिलित किया गया है और निर्वाचन में किया गया कोई व्यय छिपाया नहीं गया है।

9–प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत व्यय कि विवरणी में ''समस्त'' निर्वाचन व्ययों का सही लेखा दिखाना है, इसलिये जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं स्थानीय निकाय) व्यय विवरणी निर्धारित रीति के अनुसार होने पर उम्मीदवार का लेखा स्वीकार करने से पूर्व उसकी ऐसी जांच करा सकता है जिसे वह आवश्यक समझे। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं स्थानीय निकाय) यथापेक्षित अपनी सूचना आयोग को देते समय यह सत्यापित करेगा कि लेखा विवरण रीति में है। यह उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत एवं सत्यापित विवरण तथा दस्तावेजों को आयोग के निमित्त प्रमाणित करके भेजेगा।

10–आयोग उपर्युक्त प्रक्रिया से प्रस्तुत किये गये विवरणों की प्राथमिकता की जांच करा सकता है और उम्मीदवार की किसी चूक या गलत सूचना के लिये उसे व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहरा सकता है।

क्रe'k%----------4

अनुलग्नक–1

1–त्रिस्तरीय पंचायतः–

क्रम सं0	उम्मीदवारों का पद	अधिकतम व्यय सीमा (रूपये मे)
1	3	3
1.	सदस्य, ग्राम पंचायत	कोई सीमा निर्धारित नही
2.	प्रधान	18,000
3.	उप प्रधान	1,500
4.	सदस्य, क्षेत्र पंचायत	18,000
5.	प्रमुख	30,000
6.	जयेष्ठ उप प्रमुख	20,000
7.	कनिष्ठ उप प्रमुख	18,000
8.	सदस्य, जिला पंचायत	50,000
9.	अध्यक्ष, जिला पंचायत	1,00,000
10.	उपाध्यक्ष, जिला पंचायत	75,000

2–नागर निकायः–

क्रम सं0	उम्मीदवारों का पद	अधिकतम व्यय सीमा (रूपये मे)
1	3	3
1.	नगर प्रमुख, नगर निगम	5,00,000
2.	उप नगर प्रमुख, नगर निगम	75,000
3.	सभासद, नगर निगम	50,000
4.	अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद्	2,00,000
5.	सदस्य, नगरपालिका परिषद्	20,000
6.	अध्यक्ष, नगर पंचायत	50,000
7.	सदस्य, नगर पंचायत	10,000

अनुलग्नक–2

त्रिस्तरीय पंचायत/नागर स्थानीय निकाय का निर्वाचन व्यय का लेखा विवरण का प्रारूप
(दिन–प्रतिदिन का लेखा)

उम्मीदवार का नामः–

राजनीतिक दल का नाम यदि कोई होः–

नागर निकाय कक्ष/निर्वाचन क्षेत्र, जहां से निर्वाचन लड़ा गयाः–

परिणाम घोषणा का दिनांकः–

भाग–एक (दिन–प्रतिदिन का लेखा)

व्यय का दिनांक	व्यय की प्रकृति	व्यय की गई/भुगतान की गई धनराशि	धनराशि बकाया	भुगतान का दिनांक	पाने वाले का नाम व पता	धनराशि का भुगतान कर दिये जाने की स्थिति में वाउचर क्र0सं0 व दिनांक	किसी धनराशि के बकाया रहने की स्थिति में बिल की क्र0स0 व दिनांक	ऐसे व्यक्ति का नाम व पता जिसे बकाया धनराशि देय है।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर मेरे द्वारा/मेरे निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गये लेखा की यह सत्य प्रतिलिपि है।

निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी के हस्ताक्षर

अनुलग्नक–3

त्रिस्तरीय पंचायत/नागर स्थानीय निकायों के निर्वाचन में भाग लेने वाले उम्मीदवारों द्वारा किए गये व्यय का विवरण

(नामांकन की तिथि से परिणाम घोषित होने की तिथि के मध्य)

(मदवार का व्यय का विवरण)

1. प्रत्याशी का नामः–

2. पदनामः–

3. ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत/नागर स्थानीय निकायः–

4. परिणाम घोषित किए जाने की तिथिः–

क्र0 सं0	व्यय की मद	मात्रा संख्या	व्यय की धनराशि	भुगतान की तिथि	व्यय के भुगतान/लेखा का प्रमाण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	नाम निर्देशन–पत्र का मूल्य					
2.	जमानत की धनराशि					
3.	मतदाता सूची क्रय करने का व्यय					
4.	निर्वाचन घोषणा–पत्र छपाने का व्यय					
5.	पोस्टर छपवाने का व्यय					
6.	हैण्डबिल छपवाने का व्यय					
7.	पोस्टर चिपकवाने का व्यय					
8.	निर्वाचन कार्यालय का किराया					
9.	हैण्डबिल वितरित कराने पर व्यय					
10.	विज्ञापन छपवाने पर व्यय					
11.	निर्वाचन प्रचार सभाओं पर व्यय					
12.	निर्वाचन सभाओं हेतु स्थान, पण्डाल इत्यादि					
13.	ध्वनि विस्तारक यंत्रो के किराये पर व्यय					
14.	फोटोग्राफर एवं वीडियों कैसेट आदि पर व्यय					
15.	निर्वाचन प्रचार हेतु विशिष्ट/महत्वपूर्ण व्यक्तियों को बुलाने/उनके भ्रमण पर हुआ व्यय					
16.	स्वागत द्वार, झंडे, बैनर इत्यादि बनवाने पर हुआ व्यय					
17.	प्रत्याशी, उसके निर्वाचन एजेण्ट, पोलिंग एजेण्ट तथा काउंटिंग एजेण्ड द्वारा वाहन तथा पी0ओ0एल0 पर व्यय					
18.	प्रत्याशी के इलेक्शन एजेण्ट, पोलिंग एजेण्ट, काउंटिंग एजेण्ट एवं अन्य कार्यकर्ताओं इत्यादि पर व्यय					
19.	निर्वाचन हेतु लिए गए सार्वजनिक वाहन का किराया/ईधन आदि					
20.	अन्य व्यय					
	योग–					

क्रe 'k----------7

घोषणाः–

प्रमाणित किया जाता है कि मैं विगत त्रिस्तरीय पंचायत/नागर स्थानीय निकाय के निर्वाचन में ––––––––––निर्वाचन क्षेत्र में ––––––––––––––––––––कक्ष से ––––––––––––––––––पद हेतु प्रत्याशी था। मैंने उक्त निर्वाचन में अपने द्वारा व्यय की गई धनराशि का विवरण निर्धारित प्रारूप में ––––––––––––––––––––को प्रस्तुत कर दिया था।

अथवा

मै विगत त्रिस्तरीय पंचायत/नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन में किसी भी पद हेतु प्रत्याशी नहीं था।

स्थान––––––––––––––––––
दिनांक––––––––––––––––––
––––––––––––––––––

(प्रत्याशी के हस्ताक्षर)
पूरा नाम

पता––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––
जो लागू न हो उसे काट दिया जाय।

1. यह विवरण–पत्र उम्मीदवार के शपथ–पत्र के साथ लिया जायेगा। बिना शपथ–पत्र के यह विवरण स्वीकार्य नहीं होगा।

2. व्यय की पुष्टि में सभी अभिलेख, वाउचर रसीद, पावती इत्यादि संलग्न किये जायेगें।

3. व्यय के विवरण उम्मीदवार के निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा दिये जाने की दशा में उम्मीदवार द्वारा इसे प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

अनुलग्नक–4

शपथ–पत्र समक्ष जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी
शपथ–पत्र का प्रारूप

मै, श्री/श्रीमती/कुमारी––––––––––––––––––पुत्र/पुत्री/पत्नी–––––––––––––––––––– उम्र––––––––––निवासी–––––––––––––––––––––––––– एतद्द्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक एवं ईमानदारी से निम्न तथ्यों का उल्लेख एवं घोषणा करता/करती हूँः–

1. यह कि मै त्रिस्तरीय पंचायत/नागर स्थानीय निकाय––––––––––––––––––––के निर्वाचन क्षेत्र/कक्ष क्रमांक––––––––––––––––––––से ––––––––––––––––––––के पद हेतु सामान्य निर्वाचन/उपनिर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार था/थी, जिसका परिणाम दिनांक––––––––––––––––––को घोषित किया गया।

2. यह मेरे नामांकन करने के दिनांक से ओर उसके परिणाम की घोषणा के दिनांक के बीच में दोनो दिवस सम्मिलित है, उक्त निर्वाचन के संबंध में व्यय किये गये और मेरे अभिकर्ता द्वारा प्राधिकृत व्यय का अलग–अलग और सही–सही लेखा मेरे/मेरे निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखा गया है।

3. यह कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए बनाये गये प्रारूप में उक्त लेखे का ब्यौरा दिया गया है और उसकी एक सत्य प्रतिलिपि उक्त लेखे में उल्लिखित पुष्टिकारक वाउचर/बिलों की, इसके साथ संलग्न की जा रही है।

4. यह कि मेरे निर्वाचन व्यय के लेखे में, जिसे संलग्न किया गया है, निर्वाचन की सभी मदों पर किये गये व्यय का ब्यौरा दिया है, जिसमें मेरे और मेरे अभिकर्ता द्वार प्राधिकृत व्यय सम्मिलित है, उसमें किसी व्यय को छिपाया नहीं गया है न दबाया गया है।

5. यह कि व्यय लेखा के अनुलग्नक में दिये गये मदों पर शून्य में दर्शाया गया व्यय नहीं किया गया है अथवा मेरे अथवा मेरे निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा प्राधिकृत नहीं किया गया है।

निर्वाचन लडने वाले उम्मीदवार के हस्ताक्षर

दुर्गेश जोशी,
राज्य निर्वाचन आयुक्त।